जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

The "Netflix Look"

When productions follow similar technical specifications, they begin to resemble one another, even when their stories, budgets, and casts are different

The Aztec Warrior of Gold

The Science Behind Banana's Curved Shape

ओम बिड़ला वैकल्पिक मुख्यमंत्री के रूप में अपने आपको तैयार कर रहे हैं?

बिड़ला का मानना है कि अमित शाह कमज़ोर हो गए हैं तो राजस्थान में भी परिवर्तन संभव है और वे खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानते हैं

- राजनैतिक हलकों में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अमित शाह का करीबी माना जाता है और शाह ने ही मुख्यमंत्री पद के लिए शर्मा को चुना था, जबकि तब शर्मा राजनीति में नए थे।
- ओम बिड़ला, जो कभी वसुंधरा राजे के करीबी थे, बाद में अमित शाह के करीबी हो गए और अब उनकी निष्ठा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ ज्यादा है।
- सूत्रों ने बताया कि संघ में उच्चतम स्तर पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर गहन विचार मंथन हो रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के संबंध में भी संघ चर्चा कर रहा है और ओम बिड़ला का नाम भी चर्चा में है।
- सूत्रों ने कहा, हाल ही में भाजपा संगठन में हुए भारी फेरबदल भी इस बात का संकेत हैं कि संघ ने शाह को निशाने पर ले लिया है।
- ये फेरदल संकेत हैं कि संघ किस दिशा में और क्यों आगे बढ़ रहा है। चर्चा यह भी है कि संघ प्रधानमंत्री के लिए नया चेहरा तलाश रहा है और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रूझान क्या रहते हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। भाजपा और आरएसएस में यह चर्चा अब जोरों पर है कि संघ की नजर अमित शाह के एक और करीबी व्यक्ति पर है।

कहा जा रहा है कि अमित शाह से नजदीकी के कारण भजनलाल शर्मा भी संकट में है।

और चर्चा है कि उनकी जगह लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भारी जोड़तोड़ कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं?

ओम बिड़ला भी कभी अमित शाह के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब उनकी निष्ठा अमित शाह की तुलना में नरेन्द्र मोदी के प्रति अधिक दिख रही है।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि आरएसएस के शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कामकाज और मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा को लेकर चर्चा और गहन विचार-विमर्श चल रहा है।

अमित शाह ने जब भजनलाल को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था, तब वे राजनीति में एकदम नए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'गांधी, नेहरू और पटेल के खिलाफ एफआईआर करें'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम् के गायन को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस द्वारा गाए गए संस्करण का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्र सरकार पर कटाक्ष किया।

यह वही संस्करण है, जिसे ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल सहित, देश के प्रमुख नेता गाया करते थे।

खड़गे ने कटाक्ष किया कि यदि "वंदे मातरम्" के कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संस्करण को गाना अपराध है, तो सरकार को उन दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरु व सरदार पटेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जिन्होंने इसी संस्करण को गाया था। खड़गे की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब वंदे मातरम् के पूर्ण गायन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद लगातार तेज होता जा रहा है।

भारत सरकार ने पाक उच्चायोग के अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाया

पाकिस्तान में तीन दिन पहले भारतीय उच्चायोग के सुरक्षा बैरिकेड्स हटाने के जवाब में यह कार्यवाही की गई है

- भारतीय अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान उच्चायोग ने स्वीकृत सीमा के बाहर अनाधिकृत निर्माण कर रखा था।
- सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने बाहरी सुरक्षा घेरे और बैरिकेड्स को भी हटा दिया।
- सरकार ने इस प्रक्रिया की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें उच्चायोग के बाहर पड़ा मलबा नज़र आ रहा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने कुछ ढांचों को गुरुवार को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, जांच में पाया गया कि ये ढांचे उच्चायोग के लिए स्वीकृत सीमा से बाहर बनाए गए थे।

संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी मशीन की मदद से यह कार्रवाई की। उच्चायोग परिसर के बाहर लेन में बनाए गए ढांचों और बैरिकेड्स को हटा दिया गया। इनमें वीजा अनुभाग के पास लगाए गए कतार प्रबंधन से जुड़े इंतजाम भी शामिल थे।

अधिकारियों ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने बाहरी सुरक्षा घेरे को भी हटा दिया। इसके तहत ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स को हटाया गया, जो पहले राजनयिक परिसर के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब इसके ठीक तीन दिन पहले पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स हटाए जाने की खबर सामने आई थी।

पाकिस्तान उच्चायोग से सामने आए दृश्यों में परिसर के बाहर मलबा बिखरा दिखाई दिया। टूटे हुए धातु के रेलिंग और गेट, मुड़े हुए धातु के फ्रेम तथा कंक्रीट के टुकड़े सड़क पर पड़े थे।

इसके अलावा, घटनास्थल के दृश्यों में बाहरी ढांचों के कई हिस्से पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दिए। इनमें टिन की छत और सफेद धातु की बाड़ भी शामिल थी। सेवा खिड़कियों के आसपास का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त नजर आया और प्लास्टर तथा चिनाई के कुछ हिस्से टूटे हुए थे।

टूटे हुए बैरिकेड्स और निर्माण सामग्री भी काउंटरों के आसपास बिखरी दिखाई दी।

हालांकि, पाकिस्तान उच्चायोग का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसकी सफेद दीवारें, गुंबदनुमा संरचना और पाकिस्तानी प्रतीक वाला बड़ा धातु का गेट है, सुरक्षित रहा। परिसर की सीमा के कुछ हिस्सों पर कंटीले तारों वाली बाड़ भी दिखाई दी।

इससे एक दिन पहले पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अभयारण्य के पास एन.एच.ए.आई. "रैस्ट एरिया" का निर्माण नहीं कर सकती'

हाईकोर्ट ने सरिस्का अभयारण्य के एक किलोमीटर के भीतर, नेशनल हाईवे 248ए पर "रैस्ट एरिया" बनाने के लिए जमीन अवाप्त करने के फैसले पर रोक लगाई

- मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अक्षय शर्मा द्वारा बताया गया कि जिस जमीन को अवाप्त करने के आदेश थे, वह सरिस्का अभयारण्य से एक किलोमीटर के भीतर है और जहां व्यवसायिक गतिविधि करना निषेध है।
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वन विभाग के द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद स्थानीय जिला कलैक्टर ने एक कमेटी का गठन किया था, जो रैस्ट एरिया के निर्माण के लिए विकल्प के तौर पर कोई अन्य जमीन की सिफारिश प्रस्तुत करें। इस कमेटी ने बांधरोल गांव के खसरा नं. 1933 को रैस्ट एरिया के निर्माण के लिए ज्यादा उपयुक्त स्थान बताया था।

-यादवेन्द शर्मा-

जयपुर, 20 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथोरिटी इंडिया (एन.एच.ए.आई.) द्वारा अलवर जिले में द्वारमाला गांव में अलग-अलग खसरों की जमीन अवाप्त कर वहां "रैस्ट ऐरिया", जिसमें पेट्रोलपंप तथा खाने व अन्य वस्तुओं को बेचने के लिए "कियोस्क" स्थापित करने का प्रावधान किया जा रहा था, के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश आनंद शर्मा ने यह आदेश बुद्धालाल व अन्य याचिकाकर्ताओं दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये। अदालत ने अपने आदेश में माना कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी अपने संस्मरण लिख रही हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। दशकों से सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सर्वाधिक "प्राइवेट" और गूढ़ शख्सियतों में से एक रही हैं। राजनीति, सत्ता और 10 जनपथ के

- इसमें विश्व युद्ध के बाद के, इटली में गुजरे उनके बचपन, राजीव गांधी से उनके प्रेम और विवाह से जुड़ी यादे हैं, साथ ही राजनीति में उन्होंने कितना कुछ खोया, उन भावनाओं का भी ब्यौरा है।

अलावा, उनके निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी रही है। उनकी आगामी संस्मरण पुस्तक "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने ईरान को "इकोनॉमिक डी-डे" देने का वादा किया

ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को पूरी दुनिया में अलग-थलग कर उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर देंगे

- ईरान को सैन्य हमलों से झुकाने में असफल ट्रंप ने आर्थिक हमले करने का नया दांव खेला है, इसमें उन्होंने उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं।
- अमेरिका के सामने सबसे बड़ी बाधा चीन है, जो कि ईरानी सामान और तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ईरान को जरूरत का सामान उपलब्ध कराता है और युद्ध के दौर में चीन की अहम भूमिका रही, ईरान को ताकत देने में।
- अमेरिका, चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पर, ऐसा करना अमेरिका में भारी महंगाई ला सकता है और चुनावी मौसम में यह ट्रंप के लिए अच्छा नहीं होगा।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। ईरान को सैन्य हमलों से झुकाने में नाकाम रहने के बाद अमेरिका अब अपनी रणनीति बदल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए उस पर अभूतपूर्व आर्थिक दबाव डालने का ऐलान किया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए "इकोनॉमिक डी-डे" का वादा किया है। यह शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के उस दौर की याद दिलाता है, जब मित्र देशों की सेनाएं फ्रांस के नॉरमैंडी तट पर उतरी थीं। यूरोप की मुख्य भूमि पर मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किए गए उस जल-थल हमले ने ही जर्मनी के पतन की शुरुआत की थी।

ट्रंप ईरान के बाकी दुनिया के साथ सभी संबंधों को काटना चाहते हैं और इस तरह देश की अर्थव्यवस्था का दम घोंटना चाहते हैं।

विडंबना यह है कि ईरान के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदमों से ईरान झुकेगा नहीं, बल्कि और कड़े जवाबी कदम उठाएगा। उनका कहना है कि पिछले चार दशकों के अधिकतर समय में ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का भारी आर्थिक दबाव रहा है।

हालांकि, ईरान को अलग-थलग करने और वैश्विक बाजारों तक उसकी पहुंच कम करने के इन कदमों का नतीजा यह हुआ है कि देश, विदेशों से जरूरी सामान खरीदने के लिए नए-नए गुप्त तरीके तलाश कर रहा है। साथ ही, वह तेल बेचकर कमाई करने के लिए अपने तथाकथित "डार्क फ्लीट", यानी गुप्त जहाजों के बेड़े का इस्तेमाल भी जारी रखे हुए है।

प्रतिबंधों से बचने के इन तरीकों से परेशान होकर अमेरिका अब उन दूसरे देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की धमकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट का जंतर-मंतर प्रोटैस्ट संबंधी पैनल घोषित

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। इस सप्ताह की शुरुआत में किए गए अपने वादे के अनुसार, जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ

- सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी के नेतृत्व वाला पैनल जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग की जाँच करेगा।

पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वंदे मातरम् के दो अंतरे गाने के निर्णय पर शाह ने कांग्रेस को घेरा

अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी फैसला किया है और बंकिम बाबू की इस रचना का अपमान किया है

- शाह ने कहा, 1937 में तुष्टीकरण की नीति के तहत कांग्रेस ने दो अंतरे गाने का फैसला किया था, और देश के विभाजन की नींव रखी थी। मोदी सरकार ने इस गलती को सुधारा, कानूनी आधार दिया, पर कांग्रेस इसका उल्लंघन कर रही है।
- वंदे मातरम् पर चली इस बहस ने "राष्ट्रवादी कौन" पर नई सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस तथा हिंदू महासभा की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। असली राष्ट्रवादी कौन है? इसको लेकर सत्तारूढ़ आरएसएस-भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जारी तीखी जंग अब जनता की अदालत में पहुंच गई है। सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान इस बात को लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" को पूरा गाया जाना चाहिए या अब तक चली आ रही परंपरा के अनुसार, केवल उसके पहले दो अंतरे गाए जाने चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) द्वारा स्थापित परंपरा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उस परंपरा के तहत, मोदी सरकार द्वारा नया कानून बनाए जाने तक, कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरे गाए जाते रहे हैं।

शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को राष्ट्र विरोधी निर्णय करार दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट किया है कि वह 1937 में तय की गई परंपरा का ही पालन जारी रखेगी।

देशभर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर जारी युवा आंदोलनों के बीच मोदी सरकार दबाव में है और अब वंदे मातरम् के मुद्दे के जरिए राजनीतिक विमर्श को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है।

लेकिन इस रणनीति में कई मुश्किलें भी हैं। वंदे मातरम् को लेकर सार्वजनिक बहस तेज होने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा और आरएसएस की भूमिका से जुड़े कई सवाल भी चर्चा के केन्द्र में आ गए हैं।

आलोचकों का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद कई दशकों तक न तो आरएसएस और न हिंदू महासभा ने वंदे मातरम् का गायन किया था।

समाचार एजेंसियों के अनुसार, अमित शाह ने कहा, कल कांग्रेस कार्य समिति ने एक राष्ट्र विरोधी फैसला लिया। अपने 1937 के प्रस्ताव का पालन करते हुए कांग्रेस ने वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाने का फैसला किया है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम् को विभाजित करके कांग्रेस ने देश के विभाजन की नींव रखी थी। आज नरेन्द्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की उस गलती को सुधारा है और इसे कानूनी आधार भी दिया है। कांग्रेस का फैसला उसकी तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है।"

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने "न केवल बंकिम बाबू की इस रचना का अपमान किया है, बल्कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले लाखों लोगों का भी अपमान किया है।"

उन्होंने कहा, "आज कांग्रेस पार्टी अपने 1937 के प्रस्ताव को लागू कर रही है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून को खारिज कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। देश पहले वंदे मातरम् को दो हिस्सों में बांटने की गलती कर चुका है और इसके परिणाम भी भुगत चुका है। अब देश को कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर कहना चाहिए कि उसकी तुष्टीकरण की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन

नई दिल्ली, 20 अगस्त। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और 1984 के सिख विरोधी दंगों के तीन में से दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद

- वे दिल्ली के तिहाड़ जेल में 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे।

की सजा काट रहे थे। उन्हें एक केस में बरी कर दिया गया था। सज्जन कुमार के करीबी नेताओं के मुताबिक, तिहाड़ जेल में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)